-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों द्वारा पैसा व जमीन के लालच में दिनांक 31.10.2024 को एक महिला की गला काट कर, कर दी गई थी हत्या।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता 1. रेखा त्रिपाठी पत्नी पीयुष कुमार त्रिपाठी को बस स्टैण्ड बदौसा तथा दो अभियुक्तों 2. श्रीचन्द्र चतुर्वेदी पुत्र रज्जु प्रसाद तथा 3. अशोक उर्फ छैला पुत्र मुन्नी लाल को नादनमऊ पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों अशोक उर्फ छैला तथा अभिलाष द्वारा महिला कि हत्या कि गई थी तथा हत्या करने के लिये अभिलाष तथा रेखा द्वारा अशोक को दस लाख रुपये का लालच दिया गया था। दिनांक 31.10.2024 को अभियुक्तों द्वारा पैसा व जमीन के लालच में रमाबाई पत्नी गजोधर उम्र लगभग 70 वर्ष की गला काट कर हत्या कर दी गई थी।

बरामदगी –

1. आलाकत्ल एक हंसिया
2. खुन से सने साफी व शर्ट
3. 03 अदद मोबाईल

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रेखा त्रिपाठी उर्फ बुधिया उर्फ गिरिजेश कुमारी पत्नी पीयुष कुमार त्रिपाठी निवासी बगरेही थाना रैपुरा जनपद चित्रकुट।
2. श्रीचन्द्र चतुर्वेदी पुत्र रज्जु प्रसाद निवासी नादनमऊ थाना बदौसा जनपद बांदा
3. अशोक उर्फ छैला पुत्र मुन्नी लाल निवासी नादनमऊ थाना बदौसा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 146/24 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी बदौसा श्री जयचन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र यादव
3. हे0कां0 बृजभुषण आर्या
4. कां0 अनुराग यादव
5. कां0 नितिन कुमार
6. कां0 प्रदीप कुमार
7. कां0 शेर सिंह
8. म0कां0 राखी